

कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2018 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 644 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) थे। इसमें 450 सरकारी कंपनियां, 188 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां तथा 06 सांविधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 420 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों (06 सांविधिक निगमों सहित) तथा 165 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की चर्चा करता है। इस प्रतिवेदन में 59 सीपीएसई (23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं हैं, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।

[पैरा 1.1.3]

भारत सरकार द्वारा निवेश

420 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं ने दर्शाया कि भारत सरकार (जीओआई) ने शेयर पूंजी में ₹ 3,57,064 करोड़ का निवेश किया था। 31 मार्च 2018 तक भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण की ₹ 88,479 करोड़ की राशि बकाया थी। पिछले वर्ष की तुलना में, भारत सरकार द्वारा सीपीएसई की इक्विटी में निवेश में ₹ 35,038 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की तथा 2017-18 के दौरान बकाया ऋण ₹ 5,978 करोड़ तक बढ़ा।

[पैरा 1.2 और 1.2.1]

बाजार पूंजीकरण

31 मार्च 2018 तक उन 47 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (05 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 14,42,216 करोड़ था जिसके शेयरों को 2017-18 के दौरान विक्रय किया गया था। 31 मार्च 2018 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों

(05 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरो का बाजार मूल्य ₹ 13,63,194 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

इक्विटी पर प्रतिफल

231 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा 2017-18 के दौरान अर्जित लाभ ₹ 1,66,197 करोड़ था जिसका 71.83 प्रतिशत (₹ 1,19,379 करोड़) योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलियम, कोयला तथा लिग्नाइट तथा विद्युत में 52 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा किया गया था। 2016-17 में 215 सीपीएसई में 13.82 प्रतिशत की तुलना में इन 231 सीपीएसई में 2017-18 में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 13.16 प्रतिशत था।

[पैरा 1.3.1]

101 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 70,562 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 42,229 करोड़ था जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (₹ 3,57,064 करोड़) पर 11.83 प्रतिशत प्रतिफल का द्योतक है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 14 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 28,859 करोड़ का योगदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 40.90 प्रतिशत का द्योतक है।

53 सीपीएसई द्वारा लाभांश की घोषणा पर भारत सरकार के निर्देश का अननुपालन करने के फलस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार को भुगतान किए गए लाभांश में ₹ 9,417.75 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

158 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने वर्ष 2017-18 के दौरान हानि उठाई थी। इन कम्पनियों द्वारा 2016-17 में ₹ 33,574 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 41,420 करोड़ की हानि वहन की गई।

[पैरा 1.4]

निवल सम्पत्ति/संचित हानि

31 मार्च 2018 तक ₹ 1,42,309.28 करोड़ की संचित हानि वाली 184 सरकारी कम्पनियां तथा निगम थी। इनमें से 77 कम्पनियों की निवल सम्पत्ति उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से क्षरित हो गई थी। इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2018 तक इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति ₹ 83,122.38 करोड़ तक नकारात्मक हो गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान इन 77 कम्पनियों में से केवल 12 ने ₹ 1344.45 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

[पैरा 1.4.1]

सूचीबद्ध सीपीएसई का निजी कंपनियों के साथ निष्पादन

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 36 सीपीएसई के निष्पादन की तुलना पाँच मानदण्डों पर (आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई रेशो और आईसीआर) समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों के साथ की गई। यह देखा गया कि 36 कंपनियों में से आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई रेशो और आईसीआर क्रमशः 16,15,26,29 और 17 सीपीएसई में निम्न स्तर पर थे।

[पैरा 1.5.3]

निवेश के वर्तमान मूल्य आधार पर रिटर्न

25 सीपीएसई के संदर्भ में भारत सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का परिकलन किया गया जोकि भारत सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/ हानि की दर के आंकलन में आठ या अधिक वर्षों से घाटे में है का निवेश के ऐतिहासिक मूल्यों से तुलना की गई। 31 मार्च 2018 को भारत सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 1,12,958.30 करोड़ था जिसके प्रति रिटर्न ₹ (-)21,145.73 करोड़ था।

[पैरा 1.5.4]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 638 सीपीएसई में से (छः वैधानिक निगमों को छोड़कर), 540 सीपीएसई से समय पर (अर्थात् 30 सितम्बर 2018 तक) वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण प्राप्त किए गए। जबकि 4 सीपीएसई से वित्तीय विवरण देय नहीं थे, 94 सीपीएसई के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों से बकाया थे।

[पैरा 2.3.2]

540 सीपीएसई जिनसे वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए थे, में से 386 सीपीएसई में अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

[पैरा 2.5.1]

87 सीपीएसई में तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, लाभप्रदता और परिसंपत्तियों /देनदारियों के मूल्य में क्रमशः ₹ 5786.43 करोड़ और ₹ 9831.24 करोड़ का परिवर्तन हुआ।

तीन सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों और 35 सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने से पूर्व अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संशोधित किया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों में त्रुटियां उजागर करने वाली विभिन्न टिप्पणियां भी जारी की गई थी।

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभ प्रदता तथा परिसंपत्तियों/ उत्तरदायित्व पर क्रमशः ₹ 2,374.62 करोड़ और ₹ 51,014.59 करोड़ रहा।

[पैरा 2.5.1]

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखाकरण मानकों/इंड एस के प्रावधानों से 14 सीपीएसई में विचलनों को देखा गया था। सीएजी ने भी 17 सीपीएसई में ऐसे विचलनों को बताया था।

[पैरा 2.6]

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कमियों को देखा गया जो कि महत्वपूर्ण आपत्तियां नहीं थी, 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 98 सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित की गई थीं।

[पैरा 2.7]

III. कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉर्पोरेट अभिशासन की समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 52 सूचीबद्ध सीपीएसई को शामिल किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों:

डीपीई दिशानिर्देशों, कॉर्पोरेट अभिशासन से सम्बन्धित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के विनियम यद्यपि अनिवार्य थे परन्तु कुछ सीपीएसई द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- दो सीपीएसई में गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक बोर्ड में कुल संख्या के 50 प्रतिशत से भी कम थी। एमएमटीसी लि. के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

[पैरा 3.2.1 और 3.2.3]

- 24 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व की अपेक्षित संख्या कम थी तीन सीपीएसई के निदेशक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2]

- 42 सीपीएसई में बोर्ड बैठक/ बोर्ड समिति बैठक में स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं हुए तथा 19 सीपीएसई में सामान्य बैठक में स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं हुए।

[पैरा 3.3.4 और 3.3.5]

- दो सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठके आयोजित नहीं की गई थी और 13 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशक पृथक बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे।

[पैरा 3.3.6.1 और 3.3.6.2]

- 13 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था 15 सीपीएसई में कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

[पैरा 3.4.1 और 3.4.2]

- स्कूटरर्स इंडिया लिमिटेड को छोड़कर सभी समीक्षागत सीपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, वहीं लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या चार सीपीएसई में निर्धारित संख्या से कम थी।

[पैरा 3.5.1]

- दो सीपीएसई में व्हिसल ब्लोअर क्रियाविधि नहीं थी।

[पैरा 3.7]

IV. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

10 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत समीक्षा में 82 सीपीएसई (7 महारत्न, 14 नवरत्न, 44 मिनीरत्न और 17 अन्य) को शामिल किया गया। समीक्षा के दौरान एक वर्ष की अवधि मार्च 2018 समाप्ति तक शामिल की गई थी। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ की गयी थी:

[पैरा 4.3]

- 7 सीपीएसई यथा एंट्रिक्स, बीएलआई, जीजीएल, एचएससीसी, आईआईएफसीएल, जेसीआई और एनएचडीसी द्वारा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नामित नहीं किया गया।

[पैरा 4.5.1.2]

- जेसीआई की कोई सीएसआर पालिसी नहीं थी।

[पैरा 4.5.1.3]

- ईसीजीसी और एनटीपीएल दो सीपीएसई ने वार्षिक सीएसआर बजट तैयार नहीं किया था।

[पैरा 4.5.1.4]

- छः सीपीएसई यथा सीसीआईएल, हुडको, केपीएल, एनसीएल, पीएफसीएल, यूसीआईएल द्वारा सीएसआर के प्रति निधियों का कम आबंटन किया गया।

[पैरा 4.5.2.1]

- 48 सीपीएसई ने वर्ष के दौरान सीएसआर निधियों का पूरा उपयोग किया और 34 सीपीएसई ने सीएसआर निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया।

[पैरा 4.5.2.3]

- 4 सीपीएसई यथा कॉनएयर, आईटीपीओ, केआरसीएल और एनटीपीवीएनएल ने वर्ष के दौरान सीएसआर की अग्रणीत की गयी राशि खर्च नहीं की थी।

[पैरा 4.5.2.4]

- सीएसआर के लिए लेखांकन पर निर्देश टिप्पणी के उल्लंघन में बीडीएल, भेल और पीएचएल ने क्रमशः ₹ 9.58 करोड़, ₹ 31 करोड़ और ₹ 2.20 करोड़ की सीमा तक व्यय नहीं की गयी राशि के लिए प्रावधान किया गया। एएआई, ईसीजीसी, एचएससीसी और आईओसी ने क्रमशः ₹ 61.72 करोड़, ₹ 2.25 करोड़, ₹ 1.44 करोड़ और ₹ 1.32 करोड़ की राशि की सीएसआर के लिए आरक्षित निधि का सृजन किया है।

[पैरा 4.5.2.4.1]

- 2017-18 में 82 सीपीएसई द्वारा सीएसआर कार्यों पर कुल व्यय ₹ 3,338.60 करोड़ था। पेट्रोलियम क्षेत्र ने सीएसआर पर ₹ 1,416.12 करोड़ की अधिकतम राशि का व्यय किया।

[पैरा 4.5.2.6 एवं 4.5.2.9]

- बीडीएल ने अधिशेष सीएसआर निधि (₹ 9.59 करोड़) को सावधि जमा में निवेश कर इस पर अर्जित ब्याज को सीएसआर निधि में पुनर्निवेश के बजाय व्यवसाय से आय स्वरूप माना।

[पैरा 4.5.2.11]

- सीएसआर के तहत व्यय स्वास्थ्य पर केन्द्रित था (32.66 प्रतिशत) जिसके बाद शिक्षा पर केन्द्रित था (31.98 प्रतिशत)।

[पैरा 4.5.3.3]

- 73 सीपीएसई ने स्वच्छ भारत (एसबी) पर ₹ 1,019.16 करोड़ का व्यय किया जो कि कुल सीएसआर व्यय का 30.52 प्रतिशत है। डीपीई निर्देशों के अनुसार सीपीएसई को अक्टूबर 2019 तक 33 प्रतिशत सीएसआर निधियों को स्वच्छ भारत मिशन के साथ एसबी पर व्यय करना था। एसबी पर 2.48 प्रतिशत तक की कमी थी। 26 सीपीएसई ने 33 प्रतिशत से अधिक व्यय किया था और 47 सीपीएसई ने 33 प्रतिशत से कम व्यय किया था।

[पैरा 4.5.3.5(1)]

- बीपीसीएल ने नेशनल आयल म्यूजियम को ₹ 14.83 करोड़ की राशि का योगदान दिया है।

[पैरा 4.5.3.5(4)]

V. प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने 17 'मिनिरत्न' कम्पनियों और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच वर्ष 2016-17 और 2017-18 के एमओयू का विश्लेषण किया है।

[पैरा 5.5]

एमओयू दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समकक्ष संस्थाओं के संदर्भ में के मानदण्ड निर्धारित करना अधिदेशित था जिसे 11 सीपीएसईज द्वारा लागू नहीं किया गया था।

[पैरा 5.7.3]

यद्यपि एमओयू दिशानिर्देशों में सीपीएसईज को उनके बोर्ड पर गैर अधिकारिक निदेशकों के पदों को भरने के लिए और स्वतंत्र और महिला निदेशकों के संबंध में सूचीबद्ध समझौता और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु एमओयू में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता शामिल करने के लिए अधिदेशित किया गया था, तथापि पाँच सीपीएसईज में स्वतंत्र और महिला निदेशकों के कुछ पद खाली पड़े थे।

[पैरा 5.7.4]

वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों में आठ अतिरिक्त पात्रता मानदंडों का अनुपालन अनिवार्य था। किसी एक शर्त के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप सीपीएसई की रेटिंग को 'उत्कृष्ट' से घटाकर 'बहुत अच्छा' कर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 सीपीएसईज के निदेशक बोर्ड ने वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू का मूल्यांकन प्रस्तुत करते समय डीपीई दिशानिर्देशों के गलत अनुपालन को प्रमाणित किया था। डीपीई ने इन मामलों को दिशानिर्देशों के अनुपालन में मानते हुए पाँच सीपीएसईज के अंक नहीं काटे, जिसके परिणामस्वरूप दो सीपीएसईज को बहुत

अच्छा के बजाय उत्कृष्ट के रूप में अधि मूल्यांकन किया गया जिसके कारण पीआरपी के अधिक भुगतान का प्रभाव हुआ।

[पैरा 5.7.6, 5.7.7 और 5.7.8]

VI. चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्दमों में भारतीय लेखांकन मानकों (चरण-11 के तहत) के कार्यान्वयन का प्रभाव

कारपोरेट मामला मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया था जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से चरणबद्ध तरीके में कम्पनियों के लिए लागू थे। चरण-11 में, महारत्न, नवरत्न, मिनिरत्न कम्पनियों वाली 67 सीपीएसई जिन्होंने 01 अप्रैल 2016 से अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इंड एस अपनाया था, के वित्तीय विवरणों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा हेतु चुना गया और इन निष्कर्षों को 2018 की रिपोर्ट सं. 18 में शामिल किया गया था। मौजूदा अध्ययन में 25 सीपीएसई कवर किए गए हैं जिन्हें चरण-11 में इंड एस अपनाने की आवश्यकता थी या जिन्होंने 2017-18 के दौरान इंड एस को स्वेच्छा से अपनाया था। इन सीपीएसई में इंड एस के कार्यान्वयन का उनके राजस्व, कर पश्चात लाभ (पीएटी), निवल सम्पत्ति और सीपीएसई की कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव की समीक्षा की गई थी। 31 मार्च 2017 तक इंड एस के अनुसार मूल्यों की तुलना करके प्रभाव का आकलन किया गया था जिसकी तुलना उस तिथि को भारतीय सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (आईजीएपी) के अनुसार तदनुसूची मूल्यों के साथ की गई थी।

[पैरा 6.1, 6.4 और 6.5]

कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर प्रभाव

इंड एस अपनाने के परिणामस्वरूप, 10 सीपीएसई में पीएटी में ₹ 17.79 करोड़ की वृद्धि देखी गई थी। इसके विपरीत, छः सीपीएसई में ₹ 240.04 करोड़ की पीएटी में गिरावट पाई गई थी। पीएटी में ₹ 236.34 करोड़ की अधिकतम गिरावट महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में देखी गई थी जबकि पीएटी में ₹ 7.56 करोड़ की अधिकतम वृद्धि हंसन मँगलोर रेल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड में देखी गयी थी।

[पैरा 6.8.1]

राजस्व पर प्रभाव

समीक्षा की गई 25 सीपीएसई में से नौ सीपीएसई में इंड एस अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व का समायोजन किया गया था। इसमें से, 6 सीपीएसई में राजस्व में ₹ 258.80 करोड़ की मूल्य वृद्धि और 3 सीपीएसई में ₹ 110.98 करोड़ कुल परिसंपत्तियों के मूल्य की कमी बताई गई थी। ₹ 218.86 करोड़ की अधिकतम वृद्धि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में देखी गई थी जबकि ₹ 110.71 करोड़ की अधिकतम कमी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में देखी गई थी।

[पैरा 6.8.3]

कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव

इंड एस अपनाने के परिणामस्वरूप कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य के समायोजन पर 25 सीपीएसई में से 15 सीपीएसई की समीक्षा की गई थी। उसमें से, नौ सीपीएसई ने कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य में ₹ 1,209.73 करोड़ की वृद्धि और छः सीपीएसई ने ₹ 109.48 करोड़ की कमी दर्शायी। कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य में ₹ 1,113.11 करोड़ की अधिकतम वृद्धि हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड के मामले में देखी गई थी जबकि परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य में ₹ 69.01 करोड़ की अधिकतम कमी ब्रेथवेट बर्न एंड जेस्सोप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के मामले में पाई गई थी।

[पैरा 6.8.5]

निवल सम्पत्ति पर प्रभाव

इंड एस अपनाने के परिणामस्वरूप निवल सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर समायोजन हेतु 25 सीपीएसई में से 16 सीपीएसई की समीक्षा की गई थी। इसमें से 11 सीपीएसई में निवल सम्पत्ति में ₹ 462.33 करोड़ की कमी देखी गई और पांच सीपीएसई में निवल सम्पत्ति में ₹ 69.70 करोड़ की वृद्धि देखी गई थी। निवल सम्पत्ति में ₹ 49.75 करोड़ की अधिकतम वृद्धि हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बनस लिमिटेड के सम्बन्ध में देखी गई थी जबकि निवल सम्पत्ति में ₹ 270 करोड़ की अधिकतम कमी हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में देखी गई थी।

[पैरा 6.8.7]

VII. सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय

लेखापरीक्षा ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 21 सीपीएसई (6 महारत्न, 9 नवरत्न, 3 मिनिरत्न और 3 अन्य सीपीएसई) द्वारा अनुसंधान और विकास कार्यों पर व्यय का विश्लेषण शामिल किया। लेखापरीक्षा में सम्मिलित 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान निम्नलिखित देखा गया:-

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान 79 कम्पनी वर्षों¹ में पीएटी की प्रतिशतता के रूप में आरएंडडी व्यय एक *प्रतिशत* के निर्धारित प्रतिशतता से अधिक था जबकि 94 कम्पनी वर्षों में से 15 कम्पनी वर्षों में यह एक *प्रतिशत* से कम था।

[पैरा 7.5.2.1]

- डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में नौ चयनित सीपीएसई के मामले में अगले तीन वर्षों के लिए आरएंडडी बजट इंगित नहीं किया गया था।

[पैरा 7.5.2.2]

- लेखापरीक्षा में शामिल किए गए सभी पांच वर्षों के दौरान आरएंडडी बजट का 100 *प्रतिशत* केवल चार सीपीएसई में ही उपयोग किया गया था और लेखापरीक्षा में शामिल किए गए पांच वर्षों में से चार वर्षों में केवल दो सीपीएसई आरएंडडी बजट का 100 *प्रतिशत* उपयोग किया था।

[पैरा 7.5.2.2]

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान 4046 इन हाऊस आरएंडडी परियोजनाओं को लिया गया था जिनमें से 3595 परियोजनाएं पूरी की गई थीं। 363 परियोजनाएं निर्धारित पूर्णता अवधि से काफी अधिक विलम्बित थीं, जिनमें से 80 परियोजनाओं के मामले में विलम्ब एक वर्ष से अधिक का था।

[पैरा 7.5.3.1]

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से 439 आरएंडडी परियोजनाएं प्रारंभ की गईं जिनमें से 178 परियोजनाएं पूर्ण की गईं

¹ कम्पनी वर्ष 1 कम्पनी के लिए 1 वर्ष

थीं। 87 परियोजनाएं निर्धारित अवधि में पूर्ण की गई थीं और 91 परियोजनाएं निर्धारित अवधि से बाद पूर्ण की गई थीं।

[पैरा 7.5.3.2]

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान भेल को 198 पेटेंट प्रदान किए गए थे। अन्य नौ सीपीएसई द्वारा पेटेंट पंजीकरण के लिए फाइल किए गए 600 परियोजनाओं में से वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान केवल 49 पेटेंट प्रदान किए गए थे, जबकि वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 11 सीपीएसई को कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया गया था।

[पैरा 7.5.5]

- केवल दो सीपीएसई ही विकसित तकनीक से अधिक राजस्व अर्जित कर सके और पाँच सीपीएसई अल्प राजस्व अर्जित कर सके थे।

[पैरा 7.5.6.2]

VIII. सीपीएसई में विनिवेश

भारत सरकार द्वारा मौजूदा विनिवेश नीति 05 नवम्बर 2009 को लाई गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे पाये गये थे:-

- वर्ष 2017-18 के लिए बजट आंकलन, संशोधित आंकलन और वास्तविक अर्जन विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से क्रमशः ₹ 72,500 करोड़, ₹ 1,00,000 करोड़ और ₹ 1,00,057 करोड़ था। भारत सरकार ने 36 मामलों में विभिन्न तरीकों/मार्गों के माध्यम से अपना अंश विनिवेश किया जिसमें विनिवेश प्रक्रिया के भाग के रूप में एसयूटीआई निवेश से आय जिसका भाग नहीं होना चाहिए था और परिणामस्वरूप ₹ 1,400 करोड़ की राशि की विनिवेश प्राप्ति अधिक बताई गई थी।

[पैरा 8.3]

- सीसीईए ने ओएफएस के माध्यम से एमएमटीसी लिमिटेड और द स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) प्रत्येक में सरकार के अंशधारिता का 15 प्रतिशत विनिवेश अनुमोदित किया (13 मई 2015)। प्रस्तावित विनिवेश

21 अगस्त 2017 तक क्रियान्वित किया जाना था। तथापि, डीआईपीएएम एमएमटीसी एवं एसटीसी में विनिवेश के सीसीईए के निर्णय को निर्धारित समय सीमा में कार्यान्वित नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, 21 अगस्त 2017 को प्रचलित ट्रेडिंग कीमतों के आधार पर प्रत्याशित ₹ 974 करोड़ (एमएमटीसी ₹ 836.97 करोड़ और एसटीसी ₹ 137.03 करोड़) की प्राप्ति नहीं हो सकी। यह पाया गया कि डीआईपीएएस अच्छी कीमतों पर शेयरों की बिक्री करने के अवसर का उपयोग नहीं कर पाया।

[पैरा 8.5.2]

- भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान 24 सीपीएसई का नीतिगत विनिवेश अनुमोदित किया था, जिसके लिए 2017-18 के दौरान केवल एक एचपीसीएल ओएनजीसी सौदे को ही अन्तिम रूप दिया गया था। 23 सीपीएसई में सीसीईए द्वारा अनुमोदित निर्धारित समय सीमा में नीतिगत विनिवेश नहीं किया जा सका। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान चार सीपीएसई डाइवैस्ट की गई थी जैसा कि डीआईपीएएम द्वारा बताया गया था।

[पैरा 8.7.2]

